

## प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम - जनपद-उत्तरकाशी के ब्लॉक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-कुनारा-लुदराला के विद्युतीकरण का कार्य।

1. 

|                                                                                        |   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।                 | : | ग्राम कुनारा-लुदराला का विद्युतीकरण का कार्य         |
| ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | : | मानचित्र संलग्न है।                                  |
| ग) परियोजना की लागत।                                                                   | : |                                                      |
| घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।                                     | : | विद्युतीकरण                                          |
| ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)                                        | : | संलग्न है।                                           |
| च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।                                               | : | विद्युतीकरण के उपरान्त क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। |
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण : आरक्षित वन भूमि 1.89 हेक्टेयर, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.2 हेक्टेयर नाप भूमि शून्य हेक्टेयर
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है : लागू नहीं है।

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| क) परिवारों की संख्या                         | : | लागू नहीं है। |
| ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | : | लागू नहीं है। |
| ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)   | : | लागू नहीं है। |
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) : नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) : संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण : संलग्न है।

दिनांक.....  
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर  
नाम अधिशासी अभिन्यता  
मोहर विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड  
प्रस्ताव की कर्म सख्या.....  
उ.पा.कालि०, देहरादून